

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 1982/ साघ 10, 1903

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1982/MAGHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम मंत्रालय

नई दिल्ली 30 जनवरी, 1982

अधिसूचना

का० घा० 63 (घ) --कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा जनवरी, 1982 के 31वें दिन ता उम तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की
जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (भाग 76 की उपधारा (1) और भाग 77, 78

79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

“जिला सोनीपत के रामस्व ग्राम बहालगढ़ रोड हद बस्त न० 80 और जमालपुर ग्राम हद बस्त न० 173 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[संख्या एस० 38013/1/82-एच० आर्०]

पी० सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 January, 1982

S.O. 63(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 31st day of January, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely:—

“The areas comprised within the revenue village—Bahalgarh Road Had Bast No. 80 and Jamalpur village Had Bast No. 173, District Sonapat.”

[S. No. 38013/1/82-HI]

P. SINHA, Dy. Secy.